संख्याः 1582 /I/2004-3(1)-2/2004

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा),
देहरादून।

ऊर्जा विभाग

देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 में उरेडा को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश दि0 22.03.2005 के साथ संलग्न बी0एम0 15

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 13/I/2004-3(1)-2/2004, दिनांक 22.03.2005 द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 1,60,67,000.00 (रू0 एक करोड साठ लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें रु0 4144 हजार की धनराशि पुनर्विनियोग से व्यवस्था की गई थी, के बी0एम0 15 को निरस्त कर अब इस शासनादेश के साथ संलग्न विवरणानुसार पुनरीक्षित बी0एम0 15 निर्गत किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 22.03.2005 का संलग्नक ही केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश में वर्णित सभी शेष शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2052/वि0अनु0–3/2004, दिनांक 31 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–बी0एम015

भवदीय

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः 1582 /I/2004-3(1)-2/2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, देहरादून।
4. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन ।
5. सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, उत्तरांचल शासन/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

वी०एम०-15

पुनर्विनियोग 2004-2005 आयोजनागत अनुदान सं०-21

नियन्त्रक अधिकारी-सचिव-ऊर्जा विभाग

(रु0 हजा

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2810-वैकल्पिक ऊर्जा-01-बायो ऊर्जा-आयोजनागत-103-जैवपिण्ड-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत अंशपोषित-0101-उरेडा के लिये अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4502	-	358	4144(क)	2810- वैकल्पिक ऊर्जा-02-सोलर इनर्जी-आयोजनागत-101-सोलर थर्मल कार्यक्रम-03-सोलर इनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1048(ख) 2810- वैकल्पिक ऊर्जा-02-सोलर इनर्जी-102-सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम-03- सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता-0301-उरेडा के लिये अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3096(ग)	1298 20996	358	(क) आवश्कता न होने के (ख) मा0 मुख्यमंत्री जी कि के कियान्वयन हेतु आवश् बजट प्राविधान से अधिक कारण। (ग) अविद्युतीकृत राजकीय विद्यालय,जिनको कम्प्यूट गया है उन्हें आवश्यकता
योग:- 4502	-	358	4144	4144	22294	358	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद-150,151,155,156 में उल्लिखित सामाओं का एवं प्राविधानों का उल्लघन नहीं होता है।

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या: 2052 क/वि0अनु-3/2004
देहरादून: दिनांक: 31 मार्च, 2005

पुनर्विनियोग स्वीकृत

टी.एन. सिंह
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
ओबराय मोटर्स विल्डिंग
माजरा, देहरादून।

संख्या: 1582/I/2005-03(1)/02/04, दिनांक 31 मार्च, 2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

2- वित्त अनुभाग-3

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव